7/12/22 पत्रावली प्रस्तुत। श्री पूरणमल खर्णवाल राजकीय अधिवक्ता वकील अपीलार्थी एवं श्री रामकुमार कुमावत वकील संस्था 1/2 व 1/6 तथा उपस्थित वकील अपीलार्थी के पश्चात सुनि

के साथ S.B. रावतसर में मूल वाद सं. 61/2009 दिनांक 25/8/22 को निर्णय की प्रतिलिपि को एक न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण TA 134/2011 निष्पादावी संचालन के निरस्त करने का अनुरोध विमलाराम 1. इस पर संस्थापित के अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल है।

अतः विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर में विचाराधीन मूल वाद सं. 61/2009 का दिनांक 25/8/22 को निर्णय संचालन के एक न्यायालय में विचाराधीन अपील सं. TA 134/2011 धारा 212 निष्पादावी संचालन में निरस्त की जाती है।

पत्रावली पृथक घेरा नम्बर में क्रम की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर